उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद्
में
कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक /नियम –
(The norms set by it for the discharge of its functions**)**

उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् के अन्तर्गत बांस एवं रेशा गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य सरकार के विभागों/संस्थाओं यथा वन विभाग, उत्तराखण्ड बहुद्देश्यीय वित्त एवं विकास निगम लि., उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, उत्तराखण्ड वन विकास निगम; केन्द्र सरकार के विभागों/संस्थाओं यथा बायोटैक्नोलॉजी विभाग, नेशनल मिशन फॉर बैम्बू एप्लीकेशन, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) वस्त्र मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय तथा निजी संस्थाओं यथा सर रतन टाटा ट्रस्ट, मुंबई से परियोजनायें प्राप्त कर गतिविधियों का कियान्वयन किया जाता है. वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, वन विभाग के विभिन्न प्रभागों, वन अनुसंधान संस्थान, गो.ब. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तथा स्थानीय स्वयं सेवी संगठनों के मध्य समन्वय स्थापित कर शिल्पकारों तथा ग्रामीणों जनमानस को बांस एवं रेशा संबंधी नवीनतम जानकारी प्रदान किया जाता है.

उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् द्वारा सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं द्वारा निर्धारित परियोजना मानकों एवं गाइडलाइन के अनुसार ही कार्य कराया जाता है।

उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् द्वारा स्वयं की नियमावली/राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।